(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1010–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–15 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 47/2014–15 अपील

खिलान सिंह पुत्र भमरा हरिजन
ग्राम पमारिया तहसील नटेरन
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सवितावाई पत्नि ओमप्रकाश साहू
ग्राम पमारिया तहसील नटेरन जिला विदिशा —— अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)

आ दे श

(आज दिनांक 6–6–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल के प्रकरण क्रमांक 47/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–1–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि श्रीमती सवितावाई पत्नि ओमप्रकाश साहू ने तहसीलदार के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि ग्राम पमारिया के उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 83/1 रकबा 0.946 हैक्टर का सीमांकन 13–6–12 को कराये जाने पर रकबा 0.210 हैक्टर पर खिलान सिंह पुत्र भमरा हरिजन का बेजा कब्जा पाया गया है , इसलिये कब्जा हटाया जावे। तहसीलदार नटेरन ने

प्रकरण कमांक 2/अ-70/12-13 दर्ज किया एंव हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29-5-14 पारित किया तथा अनावेदक के रकबा 0.210 हैक्टर पर खिलान सिंह पुत्र भमरा हरिजन का बेजा कब्जा पाये जाने से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन के समक्ष अपील कमांक 32/13-14 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29-10-14 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 47/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2015 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम पमारिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 83/1 रकबा 0.946 हैक्टर अनावेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व का है जिसका सीमांकन दिनांक 13-6-12 को कराये जाने पर रकबा 0.210 हैक्टर पर खिलान सिंह पुत्र भमरा हरिजन का बेजा कब्जा पाया गया है। आवेदक के अभिभाषक व्दारा कलावाई एंव करन सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह बताने का प्रयास किया गया है कि भूमि सर्वे नंबर 83/1 रकबा 0.946 हैक्टर पर भॅवरलाल की मृत्यु उपरांत आवेदक खेती करता आ रहा है परन्तु इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि भूमि स0 नं0 83/1 रकबा 0.946 है0 की अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है और दिनांक13-6-12 को

सीमांकन कराने पर रकबा 0.210 हैक्टर पर खिलान सिंह पुत्र भमरा हरिजन का बेजा कब्जा पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत शपथ पत्र के माध्यम से 50 वर्ष का कब्जा बताया जाना तर्क संगत नहीं है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 47/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर